आज ही

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक /01/2022

प्रति,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स,
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश वेट अधिसूचना क्रमांक एफ 3–14/2010/1/पांच (69) दिनांक 16.08.2010 को अधिक्रमित कर नवीन अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में विभाग द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक **एफ ए 3–20/2021/1/पांच (04) दिनांक ..11.....01.2022** के **अंग्रेजी एवं हिन्दी** प्रारूप की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त **अधिसूचना** का प्रकाशन **मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) अंक दिनांक ..11.....01.2022** में करने का कष्ट करें। उक्त **अधिसूचना** का प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई, जो कि मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

–sd–
(अनुभाग अधिकारी)
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक /01/2022

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय इन्दौर की ओर एकल नस्ती जावक क्रमांक 200 दिनांक 22.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग–एक भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि किसी तकनीकी अधिकारी को नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में भेजकर प्रूफरिडिंग कराने का कष्ट करें।

(अनुभाग अधिकारी)
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–20 / 2021 / 1 / पांच(04) भोपाल, दिनांक 11 / 01 / 2022

/ /अधिसूचना/ /

मध्यप्रदेश वेट नियम, 2002 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच(69) दिनांक 16 अगस्त, 2010 के अधिक्रमण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन व्यापारी द्वारा प्ररूप 6 में, इलेक्ट्रानिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.mp.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

2. व्यापारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का आवेदन मध्य प्रदेश वेट नियम, 2002 के नियम 11-क के अधीन केवल इलेक्ट्रानिक रीति से आज्ञापक रूप में फाइल किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

D:\2022\vet niyam madhyapradesh 06-01-2022.docx

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच भोपाल, दिनांक 11/01/2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–20/2021/1/पांच (04), दिनांक 11 जनवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal – 462004

No. F A 3-20/2021/1/ V(04) Bhopal, Dated : 11 /01/2022

// Notification //

In exercise of the powers conferred by rule 11-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2002 and in supersession of this department's notification No.F-A-3-14-2010-1-V (69) dated 16th August, 2010, the State Government, hereby, provides that an application for grant of registration certificate under section 17 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) shall be furnished by a dealer electronically in Form-6 through the official web portal of the department (www.mptax.mp.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The application of certificate of registration by a dealer shall mandatorily be filed electronically only under rule 11-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2002.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(Dipali Rastogi)
Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Commercial Tax Department